

05.08.19 वारी एवं प्रतिवादी स. 1 से 10 वारी प्रतिवादी स. 5 एवं 6 की हाजिरी की गई। प्रतिवादी स. 5 की ओर से नवीन प्रकाशन नामक व्यक्ति लिखित अर्ज। प्रतिवादी स. 5 की ओर से अनुमति आवेदन के साथ प्रतिवादी स. 5 एवं 6 की अपील-पत्र से संशुद्ध लिखित कथन विलिखित अर्ज, जिसकी प्रति वारी को भी गई।

वाद पक्ष पर उभय पक्षों के वि० अधिकार उपाध्यक्ष इस वारी प्रतिवादी स. 5 के अनुमति आवेदन पर पुनः वारी के वि० अधिकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते हैं अतः ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी के अनुमति आवेदन स्वीकृत किया गया।

पुनः उभय पक्षों के पूछने पर समझौता होने की उम्मीद जतायी जाती है अतः 10-10-19 को 11-10-19 को 89 एवं 90 के अन्तर्गत अतिरिक्त मज्याद्वारा केन्द्र, प्रविष्टि, भेजने हेतु कार्यालय को निर्देश दिया गया है।

वाद दिनांक 29.08.19 को मज्याद्वारा केन्द्र के आग्रिम आदेश की प्रविष्टि में।

(लेजापत्र)
मुद्रित